

# जिला परिषद कार्यालय, मुंगेर

सूचना

संख्या - 619

दिनांक-.....25-11-19

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला परिषद मुंगेर के दुकान आवंटन सूचना सं. -553 दिनांक-12.10.2019 द्वारा खड़गपुर, धरहरा, एवं संग्रामपुर स्थित जिला परिषदीय जमीनों पर नवनिर्मित व्यवसायिक दुकानों का आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित की गई है। नवनिर्मित दुकानों की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।


अतएव नवनिर्मित दुकानों का आवंटन की नियम एवं शर्तों की कण्डिका 10 के तहत अग्रिम किराया की अधिकतम राशि जमा करने वाले आवेदकों को दुकान आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।

जो आवेदक अपना आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में विहित रीति से अंतिम तिथि - 15.11.2019 तक समर्पित किये हैं। उनके बीच डाक द्वारा दुकानों का आवंटन निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा:-

क्र.सं.	नवनिर्मित दुकानों का स्थल	दुकानों की संख्या	डाक की तिथि एवं समय	स्थान
1	धरहरा स्थित नवनिर्मित दुकान	12	17.12.2019 -11.00 बजे पूर्वाह्न	जिला परिषद सभागार, मुंगेर
2	संग्रामपुर स्थित नवनिर्मित दुकान	07		
3	खड़गपुर स्थित नवनिर्मित दुकान	38	18.12.2019 -11.00 बजे पूर्वाह्न	

डाक बोली के नियम व शर्तें :-

1. आवेदक डाक बोली में स्वयं अपना पहचान पत्र के साथ भाग लेंगे।
2. आवेदक के प्रतिनिधि को डाक बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. आवेदक के अलावे किसी अन्य व्यक्ति को डाक बोली में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
4. दुकानों की संख्या के अनुरूप क्रमानुसार डाक बोली लगायी जायेगी।
5. मासिक किराया एवं सलामी की राशि निश्चित (Fixed) है। डाक बोली अग्रिम किराया की राशि पर लगाई जायेगी। अधिकतम किराया की राशि अग्रिम स्वरूप दिये जाने वाले डाकवक्ता को क्रमानुसार दुकान का आवंटन किया जायेगा।
6. अग्रिम किराया की राशि मासिक किराया की राशि में सामंजन होगा।
7. सफल डाकवक्ता को सलामी की राशि एवं उनके द्वारा बोली गई अग्रिम किराया की राशि एक मुस्त जिला परिषद कार्यालय मुंगेर में एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। अन्यथा उनका दावा स्वतः अमान्य हो जायेगा।
8. डाकवक्ता द्वारा नियमानुसार एकरारनामा सम्पादित करने के उपरान्त उन्हें दुकान सुपूर्द किया जायेगा।
9. दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुंगेर का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

  
उप विकास आयुक्त सह  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
जिला परिषद, मुंगेर